



Committed to
professional excellence

IIBF VISION

खंड संख्या 15

अंक संख्या 02

सितम्बर, 2022

पृष्ठों की संख्या - 9

विजन:

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम
व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और
निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की
प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय
व्यावसायिकों का विकास करना।



इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....	2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....	2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....	3
विनियामक के कथन.....	4
आर्थिक संवेष्टन.....	5
नयी नियुक्तियाँ.....	5
विदेशी मुद्रा.....	5
शब्दावली.....	6
वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी.....	6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियाँ.....	7
संस्थान समाचार.....	7
नयी पहलकदमी.....	8
बाजार की खबरें.....	8

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मर्दें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मर्दों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस समाचार मर्दों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

भारतीय साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा श्रेणी निर्धारित निवेश श्रेणी वाली कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधार में छूटों से लाभ होगा

भारतीय साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों (CRAs) द्वारा श्रेणी निर्धारित निवेश श्रेणी वाली कंपनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के शिथिलीकृत नियमों से 31 दिसंबर, 2022 तक लाभ उठा सकती हैं।

सीमित अवधि वाला प्रस्ताव स्थानीय उधारकर्ताओं के लिए निधियों हेतु वैश्विक हबों से संपर्क करने में सहायक होगा। भारतीय साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश श्रेणी के रूप में श्रेणी निर्धारित स्थानीय कंपनियों की उधार सीमा 750 अमरीकी डालर से बढ़ाकर स्वतः मार्ग (automatic route) के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार व्यवस्था के जरिये 1.5 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है। बाह्य वाणिज्यिक उधार ढांचे के अधीन समस्त अंतर्निहित लागत (all-in-cost) की उच्चतम सीमा को भी 100 आधार अंक बढ़ा दिया गया है।

स्वर्ण मुद्राकरण योजना के अधीन समय-पूर्व मोचन के लिए केवल नकद भुगतान : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही स्वर्ण मुद्राकरण योजना (GMS) के तहत मध्यम एवं दीर्घावधिक सरकारी जमा (MLTGD) का समय-पूर्व मोचन केवल भारतीय रुपए में देय होगा। कोई जमाकर्ता भौतिक सोने का विकल्प केवल उक्त योजना की परिपक्वता पर ही अपना सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि वे प्रारम्भिक जमा के समय ही जमाकर्ता से परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशियों को सोने अथवा उसके समतुल्य भारतीय रुपए में प्राप्त/वसूल करने का विकल्प प्राप्त कर लें।

अनिवासी भारतीय अब बिलों का भुगतान भारत बिल भुगतान प्रणाली के जरिये कर सकते हैं

अनिवासी भारतीयों (NRIs) को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के प्रसार-क्षेत्र को व्यापक बनाते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे सीमा-पार वाले आवक बिल भुगतान स्वीकार करने में समर्थ बना दिया है। इसके फलस्वरूप अनिवासी भारतीय भारत बिल भुगतान प्रणाली में शामिल 20,000 बिलों में से किसी को भी एक अंतर-परिचालनीय विधि से भुगतान कर सकते हैं। उक्त मुहिम से अनिवासी भारतीय भारत में रहने वाले अपने संबंधियों की ओर से शिक्षा, उपयोगिता तथा कई एक अन्य प्रकार के बिलों का भुगतान वह भी किसी अनिवासी भारतीय खाते के बिना ही कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2022 में बढ़कर 56.4 प्रतिशत/अंक हुआ

भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक मार्च, 2021 के 53.9 प्रतिशत/अंक से बढ़कर मार्च, 2022 के अंत तक 56.4%/अंक हो गया। प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित होने वाले इस सूचकांक में सभी उप-सूचकांकों में दर्ज वृद्धि दर्शाई जाती है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक 97 संकेतकों पर आधारित होता है तथा वह सेवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग, सेवाओं में कमियों, पहुँच की सुगमता, वित्तीय साक्षरता तथा उपभोक्ता संरक्षण को दर्शाता है। किसी आधार वर्ष पर विचार किए बिना संरचित उक्त सूचकांक सभी हितधारकों द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए संचयी प्रयासों का प्रतिबिम्बन करता है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल अब साख सूचना कंपनियों के परिवादों का निवारण करेगा

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसी विनियमित संस्थाओं के लिए ग्राहक परिवाद निवारण तंत्र को सुधारने के बाद अब शीर्ष बैंक ने साख सूचना कंपनियों को रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2021 की परिधि में ला दिया है। इस मुहिम से

विनियमित संस्थाओं/कंपनियों के ग्राहकों को साख सूचना कंपनियों के विरुद्ध परिवादों के लिए एक लागत-रहित तंत्र उपलब्ध होगा तथा यह आशा की जाती है कि इससे साख सूचना कंपनियों की कार्यप्रणाली और अधिक कार्य-कुशल होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण वसूली एजेन्टों की हिंसात्मक युक्तियों को रोकने हेतु कदम उठाए

ऋण वसूली एजेन्टों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अनुचित वसूली प्रथाओं एवं जोर-जबर्दस्ती वाली युक्तियों (strong-arm tactics) की शिकायतों की एक झड़ी के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक के विस्तार-क्षेत्र में आने वाले/वाली बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), आवास वित्त कंपनियों (HFCs), सहकारी बैंकों तथा आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है कि उनके वसूली एजेंट जनता को सार्वजनिक रूप से अवमानित करने अथवा उन्हें मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिये अनुचित संदेश भेजने से विरत रहें। एजेन्टों से भी यह भी कहा गया है कि वे उधारकर्ताओं से प्रातः 8.00 बजे से पहले और सायं 7.00 बजे के बाद अतिदेय ऋणों की वसूली करने तथा झूठे एवं भ्रामक प्रतिनिधित्व करने से बचें।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

सभी लघु वित्त बैंक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I लाइसेन्स के पात्र : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी (AD) श्रेणी II के रूप में परिचालन के कम से कम दो वर्ष पूरे कर लेने के बाद सभी अनुसूचित लघु वित्त बैंकों (SFBs) को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I होने का पात्र बना दिया है। इस अभियान का उद्देश्य लघु वित्त बैंकों को उनके ग्राहकों के विदेशी मुद्रा व्यवसाय की आवश्यकता पूरी करने हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I लाइसेन्स प्राप्त करने के मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल मालियत रखना, जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात का 15% से कम न होना, पिछली चार तिमाहियों के दौरान निवल अनर्जक आस्तियों का 6% से अधिक न होना, पूर्ववर्ती दो वर्षों में लाभार्जन की स्थिति में होना, पिछले दो वर्षों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात (CRR/SLR) बनाए रखने में चूक न किया जाना शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल उधार उपकरणों से संबन्धित कदाचारों को रोकने हेतु विनियमन सुदृढ़ किए

डिजिटल उधार पद्धतियों के माध्यम से ऋण सुपुर्दगी में निहित सतर्कता के चलते कतिपय समस्याएँ पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं को न्यूनीकृत करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋणदाताओं को तीन समूहों में विभाजित कर दिया है तथा उनकी उधारदाई गतिविधियों के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बना दिया है। डिजिटल ऋणदाताओं के तीन समूहों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और उधारदाई व्यवसाय करने हेतु अनुमत संस्थाओं/कंपनियों; अन्य सांविधिक/विनियामक प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित न की जाने वाली संस्थाओं; किसी सांविधिक/विनियामक प्रावधान की परिधि से बाहर उधार देने वाली संस्थाओं/कंपनियों का समावेश है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली श्रेणी वाले ऋणदाताओं के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिये हैं। जहां तक दूसरी और तीसरी श्रेणी वाले ऋणदाताओं का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक ने संबन्धित विनियामक/नियंत्रण प्राधिकारी/केंद्रीय सरकार से जनवरी, 2021 में गठित उसके कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अविनियमित डिजिटल उधारदाई उपकरण (DLAs) अवैध डिजिटल उधारदाई व्यवसाय न करें इनमें से कुछेक सिफारिशों पर सरकार के साथ व्यापक परामर्श किए जाने की आवश्यकता है। बैंकिंग विनियामक इस विचार पर दृढ़ है कि उधारदायी व्यवसाय केवल उन्हीं संस्थाओं/कंपनियों द्वारा ही किया जाना चाहिए जो उसके अथवा अन्य प्राधिकृत विनियामक निकायों द्वारा विनियमित की जाती हों।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर चाहते हैं कि बैंक जमारशियां संग्रहीत करें, भारतीय रिजर्व बैंक की धनराशि पर निर्भरता कम करें

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास चाहते हैं कि बैंक ऋण वृद्धि में सहायता करने के लिए अधिक जमारशियां संग्रहीत करना आरंभ करें। वे ऋण उठाव (offtake) के लिए चिरस्थायी रूप से केंद्रीय बैंक की धनराशि पर निर्भर नहीं रह सकते। बैंकों ने पहले ही पुनर्खरीद (repo) दरों में वृद्धि का भार अपने जमाकर्ताओं पर डालना आरंभ कर दिया है तथा इस प्रवृत्ति के जारी रहने की आशा है।

जहां तक चलनिधि का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है कि शीर्ष बैंक अविरत रूप से यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि मौजूद रहे। भारतीय रिजर्व बैंक चलनिधि की विद्यमान स्थिति से निपटने के लिए दुर्तरफा परिचालन करेगा। पिछले माह में माल एवं सेवा कर (GST) तथा अन्य करों की अत्यधिक वसूलियों के कारण 3-4 दिनों के लिए चलनिधि पर अचानक दबाव रहा। उन्होंने बताया कि अतएव हमने तीन दिनों की परिपक्वता वाली पुनर्खरीद निषेचन परिष्करण (fine tuning) विधि का परिचालन किया।

हमारा लक्ष्य आगामी दो वर्षों में मुद्रास्फीति को कम करके 4% पर लाना है : शक्तिकान्त दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य आगामी दो वर्षों में मुद्रास्फीति को कम करके 4% के उसके मध्यावधिक लक्ष्य तक लाना है तथा उसकी

दर से संबंधित कार्रवाईयाँ आंकड़ों पर आधारित होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुँच चुकी है और अब उसके घटने की आशा है। भावी कार्रवाई का स्वरूप आवक डेटा, स्थिति कैसा रुख अपनाती है तथा उस तौर-तरीके पर निर्भर करेगा जिसमें मुद्रास्फीति-वृद्धि की गतिशीलता काम करती है।

व्यापार से संबंधित आंकड़ों की अखंडता बढ़ाना, एकल मूल्यांकन पद्धति अपनाना कारपोरेट बांड बाजार के लिए महत्वपूर्ण: भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

बंबई वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल में आधार/मुख्य व्याख्यान के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी. रबी शंकर ने कहा है कि बाजार में व्यापार से संबंधित आंकड़ों की गुणवत्ता बढ़ाना तथा एकल मूल्यांकन पद्धति अपनाना भारत के कारपोरेट बांड बाजार के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रासंगिक है।

सरकारी बांड बाजार में प्रत्येक व्यापार से संबंधित सूचना यथार्थ समय प्रसारित की जाती है, इसप्रकार उच्च गुणवत्तापूर्ण और सामयिक सूचना तैयार करना इस बाजार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कारपोरेट बाँडों में गौण बाजार के व्यापार में हुई वृद्धि उक्त बाजार के आकार के अनुरूप नहीं रही है। इसकी मुख्य अड़चनों में से एक यह है कि उक्त बाजार में अत्यधिक उच्च श्रेणी निर्धारित जारीकर्ताओं का प्रभुत्व है। पिछले वित्त वर्ष में मूल्य की दृष्टि से 80% प्रवर्तन एएए श्रेणी निर्धारित संस्थाओं/कंपनियों से थे।

श्री रबी शंकर ने कारपोरेट संस्थाओं/कंपनियों में व्याप्त उस दुर्दमनीय प्रवृत्ति का भी जिक्र किया जिसमें बाँडों के सार्वजनिक प्रवर्तन की बजाय उन सुप्रलेखित लाभों की अनदेखी करते हुये जो पारदर्शिता तथा कुशल मूल्य-अन्वेषण की दृष्टि से सार्वजनिक प्रवर्तनों में निहित होते हैं, उनके निजी नियोजन को प्राथमिकता दी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति में स्थायी गिरावट के प्रति आश्वस्त होने की प्रतीक्षा करेगा : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल पात्रा ने कहा है कि यद्यपि सुर्खियों में आई खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 7.8% के शिखर से कम होती लगती है, केंद्रीय बैंक कम होते उपभोक्ता मूल्यों के स्थायित्व के प्रति आश्वस्त होने से पहले आवक आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित सार्कफाइनेंस संगोष्ठी में आधार/मुख्य व्याख्यान देते हुये श्री पात्रा ने कहा

कि “जहाँ वैश्विक एवं घरेलू स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय पण्य कीमतों और आपूर्ति शृंखला के दबावों में कुछ कमी सकारात्मक घटनाएँ हैं, वहीं ऊर्ध्वमुखी (upside) जोखिम संभाव्य दूसरे क्रम वाले प्रभाव के रूप में बने हुये हैं तथा निविष्टि लागत संबंधी दबावों का मुद्रास्फीति के समस्यामूलक मुख्य घटक के रूप में रूपान्तरण हो रहा है।”

सन्निकट अवधि वाली मुद्रास्फीति का प्रक्षेप वक्र उभरती भौगोलिक-राजनीतिक घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय पण्य बाजार की गतिशीलताओं तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों की घटनाओं पर अत्यधिक निर्भर करता है। श्री पात्रा ने कहा कि “वर्तमान परिस्थिति में हमारा अनुभव यह है कि विश्वसनीयता का प्रदर्शन मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों को आगे बढ़ाकर मुद्रास्फीति के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जता कर होता है। मौद्रिक नीति के प्रति अनुक्रियाओं के फलस्वरूप विश्वसनीयता का लोप, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं का नियंत्रण/कब्जे से परे/दूर हो जाना तथा अंततः वृद्धि के उच्चतर बलिदान के साथ उच्चतर मुद्रास्फीति के परिणामों के रूप में सामने आता है।”

उप गवर्नर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की निगरानी को सुदृढ़ बनाने तथा पूर्वानुमान की यथार्थता को बढ़ाने के लिए कई पहलकदमियों की है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट जुलाई, 2022 के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- जुलाई, 2022 में सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति घटकर 6.7% हो गई।
- जुलाई, 2022 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति भी कम होकर 13.9% रह गई।
- जुलाई, 2022 में वैश्विक विनिर्माण पीएमआई का स्तर 51.1 अंक के रूप में घटकर द्वि-वर्षीय निम्न स्तर पर पहुँच गया।
- औद्योगिक उत्पादन तथा आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक से औद्योगिक गतिविधि के सुदृढ़ होने का संकेत मिलता है, जबकि जुलाई में नए व्यवसाय एवं उत्पादन में उल्लेखनीय अभिलाभ के परिणामस्वरूप पीएमआई विनिर्माण का स्तर 8 माह के उच्च अंक तक पहुँच गया।
- जुलाई, 2022 में पीएमआई सेवा 55.5 अंक के स्तर पर रहते हुये विस्तारवादी क्षेत्र में कायम रहा।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के पूर्वानुमानों को 8.2% से संशोधित करके 7.4% कर दिया।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त माह में आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अपनी बैठक में 2022-23 के लिए जून वाली बैठक में किए गए 7.2% के वृद्धि के पूर्वानुमानों को कायम रखा है।
- 2022 की जून तिमाही में सकल अनर्जक आस्ति (GNPA) अनुपात घटकर 5.7% रह गया।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री इंद्रजीत कमोत्रा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूनैटी लघु वित्त बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 अगस्त, 2022 के दिन करोड रुपए	26 अगस्त, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4480681	561046

मद	26 अगस्त, 2022 के दिन करोड़ रुपए	26 अगस्त, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3982307	498645
1.2 सोना	316599	39643
1.3 विशेष आहरण अधिकार	142411	17832
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	39363	4926

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सितम्बर, 2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	2.28
जीबीपी	1.6901
यूरो	-0.080
जापानी येन	-0.039
कनाडाई डालर	2.5000
आस्ट्रेलियाई डालर	1.85
स्विस फ्रैंक	-0.209150

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	3.00
स्वीडिश क्रोन	0.661
सिंगापुर डालर	1.8673
हांगकांग डालर	0.93645
म्यामार रुपया	2.25
डैनिश क्रोन	-0.13

स्रोत www.fbil.org.in

शब्दावली

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs)

बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा ईसीबीज घरेलू देश की वाणिज्यिक गतिविधियों में निवेश करने हेतु वित्तीयन के विदेशी स्रोतों से धन उधार लेने के लिए प्रयुक्त होने वाला वित्तीय लिखत है। बाह्य वाणिज्यिक उधारों का उपयोग किसी शेयर बाजार अथवा सट्टेबाजी के किसी व्यवसाय में नहीं किया जा सकता।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

सीमा आदेश

सीमा आदेश किसी प्रतिभूति को एक निर्धारित या बेहतर कीमत पर खरीदने अथवा बेचने के आदेश का एक प्रकार होता है। क्रय सीमा आदेशों के मामले में आदेश का निष्पादन केवल सीमा वाली कीमत या उससे उच्चतर कीमत पर किया जाएगा। यह निर्धारण व्यापारियों को वे जिन पर क्रय-विक्रय करते हैं उन कीमतों पर बेहतर नियंत्रण रखने में समर्थ बनाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

सितम्बर माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	10 से 12 सितम्बर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
वसूली एवं अनर्जक आस्ति प्रबंधन	12 से 14 सितम्बर, 2022	
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	14 से 16 सितम्बर, 2022	
प्रमाणित लेखा-परीक्षा एवं लेखांकन व्यावसायिक	19 से 21 सितम्बर, 2022	
विदेशी मुद्रा परिचालन	20 से 22 सितम्बर, 2022	
वित्तीय सेवाओं में जोखिम प्रबंधन पर प्रमाणपत्र	23 से 25 सितम्बर, 2022	

संस्थान समाचार

12वां आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान

संस्थान द्वारा शीघ्र ही भौतिक विधि से 12वें आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में किया जाएगा। इस बार उक्त व्याख्यान भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया जाएगा तथा व्याख्यान का विषय होगा "रिफ्लेक्टिंग आन प्वालिसी च्वायसेस फार इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम" (Reflecting on policy choices for Indian financial system)। इस समारोह का सीधा प्रसारण संस्थान की फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। उक्त समारोह के दौरान इसके पूर्व 2007 से लेकर 2021 तक आयोजित स्मारक व्याख्यानों को संकलित करते हुये एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा।

आईआईबीएफ की 2री राष्ट्रीय अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता "बैंकिंग चाणक्य" उपांत फेरी (semi-final)

संस्थान ने 4 सितंबर, 2022 को आईआईबीएफ के मुंबई स्थित कारपोरेट कार्यालय में पश्चिम अंचल के लिए प्रारम्भिक चक्र वाली उपांत्य फेरी (semi-final) का आयोजन किया जिसमें बैंकों की अच्छी-खासी उपस्थिति रही। पूर्व अंचल, उत्तर अंचल और दक्षिण अंचल के लिए प्रारम्भिक चक्र वाली उपांत्य फेरी का आयोजन क्रमशः 10 सितंबर, 18 सितंबर और 24 सितंबर, 2022 को किया जाएगा। अधिक विवरण के लिए <https://www.. Banking chanakya.com> देखें।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरुआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनेंस द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित कर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फ़ाइनेंस (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities

Markets) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से

11 फरवरी, 2022 को प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रौद्योगिकीय विधि से शुरुआत की। यह पाठ्यक्रम अनुठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। यह 9 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने वाला 187 घंटों का एक ई-शिक्षण कार्यक्रम है। उदघाटन भाषण संबन्धित संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए तथा विशेष व्याख्यान भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा दिये गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालयों और बैंकों की अच्छी-खासी संख्या में उपस्थिति रही।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जुलाई-सितंबर, 2022 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: “Fintech challenges for Banking Industry.”

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि


(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें



स्रोत : एफबीआईएल




स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर


• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998




स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2022




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक




स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2022



स्रोत : गोल्ड प्राइस इंडिया



स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय



स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE)

Printed by Biswa Ketan Das, Published by Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and printed at Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and published at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kiroi Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kiroi Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in